



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127557

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले संख्या - 8342 वर्ष 2026

शिव शरण

.....याची(गण)

बनाम

दीपक सिंह एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : देवांश मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : बाबू लाल राम, शैलेन्द्र सिंह

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप शुक्ला, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री बाबू लाल राम को सुना गया।
2. प्रस्तावित किए जा रहे आदेश के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को नोटिस जारी करने से छूट प्रदान की जाती है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याची, शिव शरण द्वारा विवादित संपत्ति के संबंध में स्थायी व्यादेश की डिक्री की मांग करते हुए सिविल न्यायाधीश (प्रवर श्रेणी), चित्रकूट के समक्ष मूल वाद संख्या 58 वर्ष 2026 संस्थित किया गया था। इसके साथ ही, अंतरिम व्यादेश की मांग करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के अंतर्गत एक प्रार्थना-पत्र भी दाखिल किया गया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अंतरिम व्यादेश हेतु उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र को आदेश दिनांक 30.05.2026 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, याची ने जिला न्यायाधीश, चित्रकूट के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। अपील के साथ, याची ने आगामी ग्रीष्मावकाश के दृष्टिगत अपील की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए सामान्य नियम (सिविल) के नियम 13 के अंतर्गत एक तत्कालता प्रार्थना-पत्र भी दाखिल किया।
5. विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त तत्कालता प्रार्थना-पत्र को आदेश दिनांक 04.06.2026 द्वारा निरस्त कर दिया गया और, परिणामस्वरूप, अवकाश के पश्चात न्यायालयों के पुनः खुलने पर समुचित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु अपील का ज्ञापन याची को वापस कर दिया गया।
6. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि, आज की तिथि में, याची उपचारविहीन हो गया है क्योंकि ग्रीष्मावकाश के कारण सिविल न्यायालय बंद हैं तथा न तो अपील पंजीकृत की गई है और न ही अंतरिम अनुतोष प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जा सकता है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों ने याची को तत्कालता प्रार्थना-पत्र निरस्त करने वाले आदेश को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत इस न्यायालय की पर्यवेक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए विवश किया है।
7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि सामान्य नियम (सिविल) के नियम 13 के निबंधनों में तत्कालता प्रार्थना-पत्र को उचित रूप से निरस्त किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है, विशेष रूप से तब जब अपील स्वयं अभी तक पंजीकृत नहीं की गई है।
8. मैंने परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया है तथा पत्रावली का अनुशीलन किया है।
9. पत्रावली इंगित करती है कि अंतरिम व्यादेश हेतु प्रार्थना-पत्र को निरस्त करने वाला आदेश ग्रीष्मावकाश प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पारित किया गया था। तत्पश्चात याची ने सामान्य नियम (सिविल) के नियम 13 के अंतर्गत तत्कालता की मांग करने वाले प्रार्थना-पत्र के साथ 02.06.2026 को तत्परता से एक अपील प्रस्तुत की। तथापि, उक्त प्रार्थना-पत्र को आदेश दिनांक 04.06.2026 द्वारा निरस्त कर दिया गया और याची के विद्वान अधिवक्ता को प्राप्त अनुदेशों

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के अनुसार, न्यायालयों के पुनः खुलने पर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपील को भी वापस कर दिया गया था।

10. दिनांक 04.06.2026 के आदेश का अनुशीलन यह परिलक्षित करता है कि तत्कालता की मांग करने वाले प्रार्थना-पत्र को निरस्त करते समय कोई स्वतंत्र कारण समनुदेशित नहीं किए गए हैं। आदेश इस बात पर विचार किए बिना एक संक्षिप्त तरीके से पारित किया गया प्रतीत होता है कि याची जून, 2026 के पूरे माह के दौरान एक प्रभावी उपचार के बिना रहेगा क्योंकि न्यायालय अवकाश पर हैं।
11. जो भी हो, याची को ऐसी परिस्थितियों में उपचारविहीन नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसके बहुमूल्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यद्यपि विवाद के गुण-दोष पर अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है, परंतु तथ्य यह है कि अपील पहले ही वापस कर दी गई है और अभी तक पंजीकृत नहीं हुई है। परिणामस्वरूप, वर्तमान में, याची के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत इस न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के अतिरिक्त कोई भी प्रभावकारी उपचार नहीं है।
12. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं:-
 - (i) याची द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालयों के पुनः खुलने के पश्चात प्रथम कार्य दिवस पर पंजीकृत की जाएगी;
 - (ii) याची द्वारा दाखिल स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का सम्यक अवसर प्रदान करने के पश्चात शीघ्रता से, अधिमानतः अपील के पंजीकरण की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, विचार किया जाएगा तथा उसे निस्तारित किया जाएगा;
 - (iii) स्थगन प्रार्थना-पत्र के निस्तारण तक अथवा अपील के पंजीकरण की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, पक्षकार विवादित संपत्ति की प्रकृति एवं कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे;
 - (iv) अपीलीय न्यायालय किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान नहीं करेगा। यदि स्थगन प्रार्थना-पत्र पर विचार करते समय कोई स्थगन प्रदान किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय द्वारा समुचित वाद-व्यय अधिरोपित किया जा सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. उपर्युक्त टिप्पणियों तथा निदेशों के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

(कुणाल रवि सिंह, न्यायमूर्ति)

16 जून, 2026

सुषमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।